संगठन से अनुशंसा भेजने के बाद विभाग द्वारा कार्यवाही में असाधारण विलंब के कारण अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्त होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी

स. क.	प्रकरण क्रमांक	अनुशंसा की तिथि	अपचारी अधिकारी/ कर्मचारी का नाम, पद, विभाग जिसके विरूद्ध अनुशंसा की गई	अनुशंसा का स्वरूप	विभाग जिसको अनुशंसा भेजी गई	अपचारी अधिकारी/ कर्मचारी के सेवानिवृत्ति का दिनांक	विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन का दिनांक	रिमार्क
1.	वि/28/100/ 90–91 डी.ई 4 /91–92	25.11.91	श्री एस.आर. पाटीदार, (रा.प्र.से), प्रशासक, नगर पालिका, सैधवा, जिला खण्डवा।	नालियों के फर्शीकरण कार्य एवं इंटेक वेल पर आयरन की सीढी बनाने के कार्य में अनियमितता के लिए दोषी पाये जाने के कारण विभागीय जाँच की अनुशंसा की गई।	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्थानीय शासन विभाग, भोपाल	दि0 30.9.01	1.म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. के पत्र दि0 6.3.02 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री पाटीदार (रा.प्र.से) दिनांक 30.9.01 को सेवानिवृत्त हा चुके हैं। घटना 4 वर्ष पूर्व की होने के कारण पेंशन नियमों के तहत् कोई कार्यवाही नहीं की गई ।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 10 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई ।
2.	वि/टी.सी. 47/91–92 डी.ए. 2/ 92–93	22.8.92	1. श्री एस.आर. पाटीदार, (रा.प्र.से) प्रशासक 2. श्री हबीब खां, प्रभारी लेखापाल, नगर पालिका सेंधवा बड़वानी।	भोई बांध मरम्मत कार्य एवं फर्शीकरण कार्य में शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाने के लिए दोषी पाए जाने पर दोनों अनावेदकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई ।	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्थानीय शासन विभाग, भोपाल	श्री पाटीदार– दि0 30.9.2001 श्री हबीब खां– दि0 31.3.93	1. म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. के पत्र दिनांक 2.12.06 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री पाटीदार, दिनाक 30.9.2001 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। घटना 4 वर्ष की पूर्व की होने के कारण पेंशन नियमों के तहत् कोई कार्यवाही नहीं की गई। 2. संचालनालय नगरीय प्रशा. एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र दि 4.10.06 से अवगत कराया कि श्री हबीब खां–दि. 31.3.93 सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही नहीं की गई।	**1.** श्री पाटीदार की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 9 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। **2.** श्री हबीब खॉ की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 7 माह की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

3.	वि/42/162/94–95 डी.ई. 2/95–96	19.5.95	1. श्री जी.एस. लोखण्डे, प्रबंधक भूमि विकास बैंक, बैतूल 2. श्री के.एल. मालवीय, विकास खण्ड अधिकारी, आ.जा.क.वि. बैतूल।	सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता हेतु दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही एवं शासन को हुई हानि की वसूली की अनुशंसा की गई ।	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल।	1. श्री जी.एस. लोखण्डे – दि0 31.10.00 2. श्री के.एल. मालवीय – दि0 31.7.97	1.. म.प्र. शासन सहकारिता विभाग के पत्र दि. 16.11.06 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री लोखण्डे दिनांक 31.10.2000 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बैंक नियमों अनुसार अब कोई कार्यवाही की जाना संभव नहीं होना उल्लेखित है। 2. म.प्र.शासन, आदिमजाति क.वि. के पत्र दि. 2.3.2005 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री मालवीय दिनांक 31.7.97 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। घटना 4 वर्ष पूर्व की होने के कारण पेंशन नियमों के तहत् कोई कार्यवाही नहीं की गई ।	**1.** श्री लोखण्डे की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 5 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । **2.** श्री मालवीय की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 2 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
4.	वि/19/179/94–95 डी.ई. 3/2000–01	5.10.00	श्री शैलेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रीवा।	निर्माण कार्यों हेतु सामग्री प्रदाय आदेश/कोटेशन पूर्व तिथियों में जारी करने, माप पुस्तिकाओं में काट–छांट करने संबंधी अनियमितताओं का दोषी पाए जाने पर विभागीय जॉच की अनुशंसा की गई।	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।	दि. 30.6.2002	विकास आयुक्त कार्या. भोपाल के आदेश दि0 27.4.07 अनुसार श्री शैलेन्द्र सिंह की दि0 30.6.02 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् लघुशास्ति की कार्यवाही स्वयंमेव समाप्त हो जाने का उल्लेख करते हुए प्रकरण समाप्त करने का उल्लेख किया गया ।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 2 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई ।
5.	स्वा/14/197/95–96 डी.ए. 4/99–2000	9.7.99	श्री एन.जे. रायचंदानी, कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा.यां.वि. मैकेनिकल खण्ड सागर	स्पेयर पार्ट्स के क्रय में अनियमितताएँ एवं पद का दुरूपयोग हेतु दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही की	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यां. विभाग भोपाल	दि. 30.11.00	म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी वि. के पत्र दि. 6.8.05 द्वारा अवगत कराया गया कि घटना 4 वर्ष पूर्व की होने के कारण पेंशन नियमों के तहत् कोई कार्यवाही नहीं की गई।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 1 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

				अनुशंसा की गई।				
6.	स्वा/37/210 /2001–02 डी.ए. 6/ 2003–04	4.11.2003	श्री ओ.पी. गोयल, सहायक यंत्री, लो. स्वा.यां.वि. सबलगढ़ मुरैना	नलकूप खनन् एवं वाहन मरम्मत कार्यों में अनियमितता के लिए दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही तथा शासन को पहुँचाई वित्तीय हानि की वसूली की अनुशंसा की गई।	प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां. विभाग, भोपाल	दि0 31.7.2005	म.प्र. शासन, लो.स्वा.यां.वि. के पत्र दि. 6.1.07 द्वारा अवगत कराया गया कि शासन को पहुंचाई वित्तीय हानि रूपए 5,00,174/– की वसूली के लिए श्री गोयल के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत करने के निर्देश दि. 28.12.06 द्वारा प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.वि को दिए गए। यह भी निर्देशित किया गया कि 2 वर्ष तक जाँच कार्यवाही लंबित रखने वाले अधिकारी/ कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करें।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 2 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
7.	स्वा/22/304 /2003–04 डी. ए.3/2005–06	22.06. 2005	श्री दिलशाद अली सिद्धिकी, संभागीय लेखापाल, लो.स्वा.यां. वि. शहडोल।	नलकूप खनन हेतु जारी किए गए कार्यादेशों के विरूद्ध संपादित कार्यो के भुगतान में अनियमितताऐं करने का दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।	प्रमुख अभिंयता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल।	दि0 31.07.05	कार्यालय महालेखाकार (ले/ह) प्रथम भोपाल से संगठन को पृष्ठाकिंत पत्र दिनांक 17.01.06 के अनुसार लोक स्वा.यां.विभाग द्वारा अभिलेख समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।	समय पर विभाग द्वारा कोई अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

8.	स्वा/17/99/95–96 डी.ए. 5/99–2000	03.08.99	1.श्री एस.सी.दुबे, तत्का. कार्य. यंत्री, 2.श्री एस ए. सिद्धिकी, त0 मानचित्रकार, 3.श्री आर.जी.सिंह, तत्का. व0ले0लि0 4.श्री आर.बी. खरे तत्का. व0ले0लि0 लो0स्वा0यां0वि0 टीकमगढ़	ठेकेदार को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के लिए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।	प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.वि. भोपाल	1.श्री एस.सी. दुबे– दि. 28.2.2005 2.श्री एस.ए. सिद्धिकी– दि. 31.12.01 3.श्री आर.जी. सिंह– दि. 31.8.2004 4.श्री आर.बी. खरे– दि. 30.6.2004	म.प्र.शासन,लो.स्वा.यां.वि. के आदेश दिनांक 8.1.07 अनुसार चारों अनावेदकगण सेवानिवृत्त हो चुके हैं। घटना 4 वर्ष पूर्व की होने के कारण पेंशन नियमों के तहत् कोई कार्यवाही नहीं की गई ।	**1.** श्री दुबे की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 5 वर्ष 6 माह की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । **2.** श्री सिद्धिकी की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 2 वर्ष 4 माह की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । **3.** श्री सिंह की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 5 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। **4.** श्री खरे की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 5 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई ।

9.	सिं/43/133 /91–92 डी.ई. 8/92–93	21.5.92	1. श्री जी.एस. दुबे, तत्का. संभागीय लेखापाल 2. श्री माताप्रसाद शर्मा, तत्का. संभागीय लेखापाल जल संसाधन विभाग नरसिंहगढ़,	एम0एस0 पाइप/गेटों के क्रय करने में अनियमितता, मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि की वसूली न कर, ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाने के दोषी पाए जाने के कारण विभागीय जाँच की अनुशंसा की गई।	सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल	1. श्री दुबे – दि0 30.9.96 2. श्री शर्मा – दि0 30.11.94	कार्यालय महालेखाकार, भोपाल से प्राप्त पत्र दि. 10.8.05 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री दुबे एवं शर्मा सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 9 (2)(बी)(11) में निहित प्रावधानों के अनुसार दोनों अनावेदकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।	1. श्री दुबे की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 4 वर्ष, 4 माह की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । 2. श्री शर्मा की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 2 वर्ष, 6 माह की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

10	सिं/30/756 /86–87 डी.ई. 8/94–95	30.9.94	1. श्री आर.एस. अग्निहोत्री, कार्य. यंत्री 2. श्री एम.एस. चंद्रावत, कार्य यंत्री, 3. श्री आर.पी. शर्मा, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, उज्जैन	मोतीपुर तालाब निर्माण कार्य के भुगतान में की गई अनियमितता के लिए दोषी पाए जाने के कारण विभागीय जॉच की अनुशंसा की गई।	सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल	1. श्री अग्निहोत्री – दि0 31.10.97 2. श्री चंद्रावत दि0 31.8.2004 3. श्री शर्मा – दि0 31.7.97	म.प्र. शासन जल संसा.वि.भोपाल के पत्र दि. 9.12.04 द्वारा अवगत कराया गया कि घटना 4 वर्ष पूर्व की होने के कारण पेंशन नियमों के तहत् तीनों अनावेदकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।	1. श्री अग्निहोत्री की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 3 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । 2. श्री चन्द्रावत की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 10 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई । 3. श्री शर्मा की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 3 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
11.	सि/35/203 /93–94 डी.ई. 9/98–99	06.05.96	1. श्री ए.के. सिन्हा, कार्यपालन यंत्री 2. श्री रामचरण मुख्य अभियंता 3. श्री के.एल. गुप्ता, कार्यपालन यंत्री 4. श्री आर.डी. सक्सेना,	सिंचाई योजनाओं में मरम्म्मत पर व्यय तथा श्रमिकों को निर्धारित स्वीकृत दरों से अधिक भुगतान करने में अनियमितताऍ एवं पद का दुरूपयोग के लिए दोषी पाए जाने के कारण	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल	1. श्री ए.के. सिन्हा– दि0 31.8.04 2. श्री रामचरण – दि0 31.8.05 3. श्री के.एल. गुप्ता– दि0 31.8.05	म.प्र. शासन, जल संसा.वि. के आदेश दिनांक 27.6.06 एवं दि0 15.7.07 द्वारा अवगत कराया गया कि घटना 4 वर्ष की पूर्व की होने के कारण पेंशन नियमों के तहत् किसी अनावेदक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।	1. श्री सिन्हा की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 8 वर्ष की अवधि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । 2. श्री रामचरण की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 9 वर्ष की अवधि तक कोई कार्यवाही नहीं की

			कार्यपालन यंत्री 5. श्री व्ही.के. रतले, कार्यपालन यंत्री, 6. श्री जे.के. शर्मा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग गुना।	विभागीय जॉच की अनुशंसा की गई।		4. श्री सक्सेना– दि0 31.10.04 5. श्री व्ही.के. रतले– दि0 31.5.05 6. श्री जे.के. शर्मा – दि0 31.7.02		गई । 3. श्री गुप्ता की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 9 वर्ष की अवधि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । 4.श्री सक्सेना की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 8 वर्ष की अवधि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । 5. श्री रतले की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 9 वर्ष की अवधि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । 6. श्री शर्मा की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 6 वर्ष की अवधि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

12	सिं/26/344 /00–01 डी.ए. 15/2003–04	1.10.2003	1.श्री ए.आर. खान, एस.डी.ओ. 2.श्री एम.एम. दांतरे, कार्य. यंत्री, मान बांई तट नहर उपसंभाग क्र. 5, मनावर, जिला–धार	शासकीय वाहन का दुरूपयोग एवं फर्जी मरम्मत करवाने की अनियमितताएॅ के लिए दोषी पाए जाने के कारण विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।	सदस्य (अभि), नर्मदा घाटी वि. प्रा.नर्मदा भवन, भोपाल	1.श्री खान– दि. 30.10.2004 2.श्री दांतरे– दि. 30.4.2005	मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजना इंदौर के पृष्ठांकित पत्र दिनांक 9.7.06 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री खॉन एवं श्री दातरे सेवानिवृत्त हो चुके है। नियमानुसार आगामी कार्यवाही शासन स्तर पर किए जाने हेतु लिखा गया ।	1. श्री खॉन की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग एक वर्ष की अवधि तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । 2. श्री दांतरे की सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग डेढ़ वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।
13.	सिं/37/123 /91–92 डी.ई. 11/2003–04	12.9.2003	श्री पी.के. गुप्ता, सहायक यंत्री, जल संसा. वि. श्योपुरकलां, मुरैना	चम्बल नहर के रख–रखाव के प्राक्कलन स्वीकृति में अनियमितताओं का दोषी पाए जाने के कारण विभगीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल	30.04.05	श्री गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य अभियंता यमुना कछार, जल संसा.वि. ग्वालियर के पृष्ठाकित पत्र दि0 6.9.06 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गुप्ता का पता ज्ञात नहीं होने के कारण जारी किए गए आरोप पत्र मूलतः वापस। कार्यवाही की जानकारी अप्राप्त।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग एक वर्ष 7 माह की अवधि तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।
14	नि/40/96/92–93 डी.ए.3/93–94	8.6.93	श्री सी.पी. माथुर, अनु.अधि. लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग गैरतगंज/रायसेन	पहुॅच मार्ग कार्य में ठेकेदार को अधिक राशि का भुगतान करने के लिए दोषी पाए जाने के कारण विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।	सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	दिनांक 30.9.04	श्री माथुर की सेवानिवृत्ति के बाद म.प्र.शासन,लो.नि.वि. के पत्र दि0 18.8.05 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री माथुर के विरूद्ध घटना वर्ष 1992–93 की होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 11 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई ।

15	नि/44/157/97–98 डी.ए. 3/98–99	16.10.98	श्री एल.के. जैन, तत्का. अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग, उज्जैन	कार्य विभाग नियमावली के प्रावधानों की अवहेलना कर शासन को वित्तीय हानि पहुॅचाने का दोषी पाए जाने के कारण विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।	सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	दि0 31.5.2002	म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 9.7.04 द्वारा अवगत कराया गया कि घटना वर्ष 97–98 की होने के कारण श्री जैन के विरूद्ध पेंशन नियमों के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 4 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
16	नि/21/153/95–96,डी.ई. 16/2000–01	20.11.96	श्री आर.बी. सिंह, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सतना ।	जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कराए गए निर्माण कार्यों में अनियमितता का दोषी पाए जाने के कारण विभागीय जॉच की अनुशंसा की गई।	सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	दि0 31.10.04	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र दि0 21.4.04 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सिंह सेवानिवृत्त हो चुके है। घटना 4 वर्ष पूर्व की होने के कारण पेंशन नियमों के तहत् कोई कार्यवाही नहीं की गई ।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 8 वर्ष की अवधि तक भी विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
17	नि/34/29/99–2000 डी.ई. 11/2000	7.3.01	श्री घनश्याम तिवारी, तत्का. कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. रा.रा मार्ग शिवपुरी	विभिन्न मार्गों के निर्माण कार्य में अनियमितता के लिए दोषी पाए जाने के कारण विभागीय जॉच की अनुशंसा की गई।	सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण वि. भोपाल	दि0 30.11.2002 (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)	प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. के पत्र दि. 24.6.06 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री तिवारी का सेवा इतिहास शासन की ओर प्रेषित किया गया है। शासन से लिए गए अंतिम निर्णय की जानकारी अप्राप्त।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 1 वर्ष, 8 माह की अवधि तक विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
18	नि/38/95/94–95 डी.ई.12/2002–03	18.12.02	श्री डी.एन.अग्रवाल, तत्का. कार्यपालन यत्री लोक निर्माण विभाग, भोपाल	भवन के निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार कर	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	दि0 31.1.2003	म.प्र. शासन, लो.नि.वि. भोपाल के पत्र दि0 7.4.2006 द्वारा अवगत कराया गया कि घटना 4 वर्ष पूर्व की होने के कारण पेंशन नियमों	समय पर विभाग द्वारा कोई अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

				शासन को आर्थिक हानि तथा ठेकेदार को अनाधिकृत लाभ पहुॅचाने, पद का दुरूपयोग करने का दोषी पाए जाने के कारण विभागीय जॉच की अनुशंसा की गई।			के तहत् कोई कार्यवाही नहीं की गई।	
19	नि/32/119/ 96–97डी.ए. 12/97–98	25.07.01	श्री जी.एस. ठाकुर, तत्का. अधीक्षण यंत्री, लो.नि.वि. वि/यां ग्वालियर	अपचारी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जॉच पूर्ण न करने पर श्री ठाकुर अधीक्षण यंत्री के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।	सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल	दि0 31.5.03	म.प्र. शासन, लो.नि.वि. के पत्र दिनांक 18.6.07 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री जी.एस. ठाकुर के दि. 31.5.03 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही संभव नहीं हो सकी।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 2 वर्ष की अवधि तक विभाग द्वारा अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।
20.	जा.प्र. 674/99 जा.प्र. 470/98	25.02.03	श्री एस.आर.ब्राम्हण, मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़।	भूखंड क्रय करने एंव मकान निर्माण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं लेने का आरोप सिद्ध पाये जाने से श्री ब्राम्हण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर चेतावनी दिये जाने की अनुशंसा की गई।	सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।	दि0 31.08.2004	म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 01.07.06 द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ0 ब्राम्हण सेवानिवृत्त हो चुके हैं अतः उन्हें चेतावनी देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 1 वर्ष 6 माह की अवधि तक विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई।

21.	अप.क्रं. 25/94	04.06.97	श्री किशोरीलाल संभागीय लेखापाल जल संसाधन विभाग, शहडोल।	4 अवैध दैनिक वेतन भोगी की नियुक्ति तथा भुगतान बाबत! कोई आपत्ति न लेने का दोषी पाए जाने के कारण विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई।	सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल।	दि0 28.02.2003	वरिष्ठ उप महा लेखाकार भोपाल के पत्र दिनांक 18.01.06 द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय सेवा नियमों के अंतर्गत विभागीय जांच पुनः संस्थापित की जाना संभव नहीं है क्योंकि घटना वर्ष 1987 से 1992 के मध्य घटित होना पाई गई।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 5 वर्ष 8 माह की अवधि तक विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई।
22	प्रा.जा. 69/91	03.11.92	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, प्राध्यापक कला एंव वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर।	अनावेदक द्वारा पत्नी के नाम से प्लाट क्रय करने की सूचना न दिए जाने के कारण विभागीय जांच की अनुशंसा की गई।	प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग भोपाल।	दि0 30.04.2001	शासन ने पत्र दिनांक 27.01.05 द्वारा अवगत कराया गया कि म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 9(2)(बी)(11) के अनुसार सेवानिवृत्ति के 4 वर्ष के अधिक अवधि की घटना पर विभागीय जांच नियमानुसार संभव न होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया है।	सेवानिवृत्ति के पूर्व लगभग 8 वर्ष 5 माह की अवधि तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।